

साकनाई इलाहाबाद

25.8.25

पत्रावली पत्र दुई वार्ड अधिवक्ता उपस्थित
 वार्ड अधिवक्ता द्वारा जा.प्र 023R) CPC पत्र
 कर वादग्रस्त पराजीयात में अपना हस्ता विद्य
 कर दिए जाने से वाद विद्रो करने का कथन किया
 गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में
 नहसीलदार गिर्वा से पालन रिपोर्ट प्राप्त होकर
 वास्ते रिपोर्ट आपत्ति हेतु नियत ही प्रकरण में
 प्रतिगिरीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं
 होने से उनके विरुद्ध एकरफा कार्यवाही पूर्व
 में च-पुकी है। जिससे प्रकरण वार्ड विद्रो करन
 चाहने पर जा.प्र लीगार किया जाकर वाद विद्रो
 करने की अनुमति दी जाती है।
 अधि. वार्ड द्वारा वाद विद्रो दिए जाने पर
 इसी त्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्दिष्ट
 अरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजल शुमा
 एका नम्बर से रुक हो।

25/8
 (ए. साईबुल्ला)

IAS